न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फुलियाकलां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारीः– अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 6/2018 राजस्व वाद

अनवान

1 श्री मुबारिक पिता खाजू नीलगर मुसलमान उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

2 श्री चान्द मोहम्मद पिता खाजू नीलगर मुसलमान उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

————————वादीगण

बनाम

1 तहसीलदार (भूमिधारी) फुलियाकलां, जिला भीलवाडा

2 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा राज.

3 श्री रतनलाल पिता छोगा माली उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

————————प्रतिवादी गण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत , घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित –

1 वादीगण समस्त मय अधिवक्ता ——श्री अक्षयराज रेबारी

2 प्रतिवादी संख्या 03 मय अधिवक्ता—— श्री विजय पाराशर

3 प्रतिवादी संख्या 01 राज्य पक्ष पेरोकार सरकार

दिनांक – 10.03.2021

वादपत्र वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 03 अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत राजीनामा पत्र के आधार पर इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि ग्राम फुलियाकलां पटवार हल्का क्षैत्र फुलियाकलां स्थित खतौनी संख्या 390 के आराजी संख्या 4214 रकबा 0.67 हैक्टयर भूमि के राजस्व अभिलेखों में दोषयुक्त अंकन छोटू पिता गंगाविशन लोदा का नाम बतौर खातेदार काश्तकार विलोपित करते हुए, रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांकित 21.05.2014 को आधार मानते हुए उसके स्थान पर वादीगण का हक आधिपत्य निर्धारित कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश प्रदत्त किये जाते है, तथा साथ ही प्रतिवादी क्रम 03 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हक हिस्से में आ रही भूमि पर अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन कर, दुरूस्तिकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इसी आशय की अन्तिम डिकी पारित की जाती है। डिक्री की प्रति तहसीलदार फुलियाकलां को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार फुलियाकलां तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 10.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2021.06.29 13:43:44 IST
Reason: SelfAttested

(अमित कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां, जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

10.03.2021

पत्रावली आज सिग्गो से प्रार्थनापत्र बाबत शीघ्र सुनवाई मंजूर किये जाने प्रस्तुत हुई। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा मार्फत अभिभाषकगण एक राजीनामा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर, न्यायालय के समक्ष कथन कर निवदेन किया कि दोनो पक्षों में मध्य चल रहा भूमि संबंधि विवाद/मतभेद अब समाप्त हो चुका है, हम उभयपक्ष प्रकरण को राजीनामे की भावना से निपटारा चाहते है। राजीनामा बाद परिक्षण तस्दीक करते हुए राजीनामा अनुसार इस मौजूदा वादपत्र को मंजूर कर निर्णित किये जाने का अनुरोध किया।

प्रमाण में प्रस्तुत राजीनामें व आदेशिका पर पर दोनो पक्षों के सहमती स्वरूप किये गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2021.06.29 13:43:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हस्ताक्षर की पहचान उनके नियुक्त अधिवक्ता द्वारा की गई है। उपस्थित पक्षकारान व उनके नियुक्त अधिवक्तागणों को सुना गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामें का अध्ययन एवं परीक्षण किया गया।

अतः वादपत्र वादीगण ब–हक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 3 प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार किये जाने के आदेश प्रसारित किये जाते है। तद्नुसार अन्तिम डिक्री पृथक से पारित की जाती है। डिक्री पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकलां को भिजवाई जावें।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां (भीलवाड़ा) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2021.06.29 13:43:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner